संख्या–2731/9–आ–3–99–23 विविध–99

**प्रेषक,**

**यज्ञवीर सिंह चौहान,**
**विशेष सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

**सेवा में,**

**1. उपाध्यक्ष,**
**समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।**
**2. अध्यक्ष,**
**समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।**
**3. आवास आयुक्त,**
**उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।**
**4. अध्यक्ष,**
**समस्त नियंत्रक प्राधिकारी,**
**विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।**

आवास अनुभाग – 3 लखनऊः दिनाँक– 09 जुलाई, 1999

**विषयः शहरी क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने के सम्बन्ध में राज्य वन नीति 1998।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या–2085/9–आ–3–99–23 विविध/99, दिनांक 28–5–1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रारम्भ की जाने वाली विभिन्न आवासीय योजनाओं में कुल अमुमानित व्यय का कम से कम 1ः (एक प्रतिशत) वृक्षारोपण/हरित पट्टिका विकसित करने हेतु व्यय किया जायेगा। यह व्यय परियोजना पर किया गया व्यय माना जायेगा। इसे बाह्य विकास या आंतरिक विकास जैसी भी स्थिति हो, मानते हुये परियोजना लागत का भाग होने के कारण सृजित की जा रही सम्पत्तियों के मूल्यांकन में सम्मिलित किया जायेगा। यदि किसी हरित पट्टिका/वृक्षारोपण का लाभ पूरी योजना को मिलता है तो उसे ट्रंक बाह्य विकास मानते हुये भूमि दर हेतु सम्मिलित किया जायेगा। यदि लाभ एक क्षेत्र/सेक्टर विशेष में सीमित है तो उस क्षेत्र की सम्पत्तियों के मूल्य में सम्मिलित किया जायेगा।

2– कृपया तद्नुसार उक्त उल्लिखित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये एवं इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। अब प्रारम्भ की जाने वाली किसी भी योजना/भवन निर्माण योजना/भूखण्ड विकास योजना में तद्नुसार प्राविधान सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

**यज्ञवीर सिंह चौहान**
विशेष सचिव

संख्या – 2731(1)/9–आ–3–99 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, वन, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।
5. अतिरिक्त निदेशक, आवास बन्धु, विकास भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश

आज्ञा से

**जावेद एहतेशाम**
अनु सचिव